न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 58/20 **निर्णय दिनांकः** 18-12-2024
(जीसीएमएस संख्या 2020/00206)

1. ओमप्रकाश पुत्र पाबूराम जाति बिश्नोई निवासी सलुण्डिया तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. भंवरीदेवी पत्नि रामेश्वरलाल जाति बिश्नोई निवासी सलुण्डिया तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार नोखा।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, नोखा
दिनांक 05—03—2020

उपस्थितः—

1. श्री विनायक चितलंगी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री महेन्द्र कुमार कल्ला, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय, अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट् ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के आदेश दिनांक 05—03—2020 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा मनमाने व स्वेच्छाधारी तरीके से अपीलांट् का धारा 251 — ए का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	69300	73100	77600	82300	91600	126800	133600	150200	153300
		58500	64400	71400	75300	79900	84800	94300	130600	137600	15470[illegible]	[illegible]57900

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 841 तादादी 6.86 हेक्टर भूमि वाके रोही सलुण्डिया में आवागमन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 1992 / 839 तादादी 0.12 हेक्टर भूमि में से रास्ते की मांग किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट् का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलांट् को अपनी जोत में आवागमन हेतु पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक अधुरी एवं ऐसी मौका रिपोर्ट का आधार लिया गया है जिसमें किसी पक्षकार की उपस्थिति नहीं है नाही उक्त रिपोर्ट तैयार करते समय किसी पक्षकार को मौके पर उपस्थित होने के लिये नोटिस आदि ही जारी किये गये है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ते के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत जाकर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। प्रकरण में अपीलांट् को अपनी जोत में आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होते हुए भी अपीलांट् के प्रार्थना पत्र को खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की गई है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

चूंकि अपीलांट् के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है व वास्तव में इस रास्ते की अपीलांट् को आत्यांतिक आवश्यकता है। इसी तथ्य को दृष्टिगत् रखते हुए ही अपीलांट् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 – ए में उपलब्ध प्रावधानों के तहत रास्ते की मांग की गई थी। उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राप्त की गई रिपोर्ट में यह कहीं अभिलिखित नहीं किया गया था कि अपीलांट् को उसकी जोत में आवागमन हेतु पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वेच्छाधारी तरीके से ही उक्त रिपोर्ट के संबंध में अपना मत बनाते हुए अपीलांट् के प्रार्थना पत्र को खारिज करने में विधि एवं तथ्य संबंधी त्रुटि कारित की गई है। जिसकी विधि अनुमति प्रदान नहीं करती है। अतः अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाते हुए अपीलांट् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 – ए के माध्यम से मांग किये गये रास्ते को स्वीकार किया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट् द्वारा अपनी जोत में आवागमन हेतु रास्ते की मांग

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार मौके की रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त यह पाये जाने पर कि अपीलांट् को उसकी जोत में आवागमन हेतु पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध है तथा धारा 251 – ए के तहत रास्ते की मांग तभी की जा सकती है जब किसी काश्तकार को अपनी जोत में आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट् को अपनी जोत में आवागमन हेतु पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध होने की स्थिति में धारा 251–ए के प्रावधान लागू नहीं होने की दशा में ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत् तरीके से अपीलांट् का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। प्रकरण में चूंकि अपीलांट् प्रस्तुत अपील के माध्यम से ही भी यह तथ्य साबित करने में असफल रहे है कि उन्हें अपनी जोत में आवागमन हेतु कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकार नहीं है। अतः अपीलांट् की अपील खारिज की जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251–ए के तहत अपनी जोत खेत खसरा नम्बर 841 तादादी 6.86 हेक्टर भूमि वाके रोही सलुण्डिया में आवागमन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 1992 / 839 तादादी 0.12 हेक्टर भूमि में से रास्ते की मांग किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार मौके की रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट में यह अभिलिखित किया गया है कि नोखा से सलुण्डिया रोड़ पर मार्क ए से बी पक्की सडक बनी हुई है। मार्क बी से सी खेतों का मार्ग है जो कटाणी मार्ग नहीं है तथा वर्तमान में मौके पर बंद है। आगे अपनी रिपोर्ट में अभिलिखित किया है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु जो मार्ग चाहा है वो मार्ग सबसे नजदीक है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रस्तुत प्रकरण में चूंकि अपीलांट् के पास अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है एवं जिस रास्ते से प्रार्थी आवागमन करता था वो रास्ता कटाणी नहीं होने एवं वर्तमान में मौके पर बंद होने के कारण प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए खसरा संख्या 1991/839 से रास्ता मांगा गया है जो निकटतम दूरी का मार्ग है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251—ए की भी यही मंशा है कि जहां अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं हो, वहां नया रास्ता स्वीकृत किया जायेगा एवं जो नया रास्ता स्वीकृत किया जायेगा वो निकटतम दूरी का होना चाहिए। प्रकरण में अपीलांट् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए रास्ते की मांग की गई थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने का अंकित करते हुए खारिज कर दिया मगर जिस वैकल्पिक रास्ते का हवाला अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में दिया है उक्त रास्ते की मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि वह रास्ता कटाणी नहीं है तथा वर्तमान में बंद है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य पाया जाता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, नोखा का आदेश दिनांक 05—03—2020 खारिज करते हुए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, नोखा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षों को सुनवाई व सबूतों का अवसर प्रदान करते हुए, मौके पर दोनो रास्तों की जांच करते हुए नियमानुसार आगामी कार्यवाही करे।

8. निर्णय आज दिनांक 18-12-2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर